न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 26/2024
निर्णय दिनांक : 22.03.2024

1. सीताराम पुत्र कानाराम, जाति मीणा, नि. टोंक रोड दुर्गापुरा जयपुर जरिये मुख्तयारआम शिवराम चौधरी पुत्र आनन्द लाल चौधरी जाति जाट, नि. ए–80 भैरव नगर न्यू सांगानेर रोड जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. रविन्द्रपाल सिंह पुत्र रणजीत सिंह, जाति सिख
2. मनप्रीत कौर पत्नी रविन्द्रपाल सिंह, नि. म. 2–ग, ग–1 जवाहर नगर जयपुर।
3. तीजादेवी पत्नी, धारिया जाति ब्राहम्ण, नि. दुर्गापुरा जयपुर
4. देवीलाल, पुत्र, धारिया जाति ब्राहम्ण, नि. दुर्गापुरा जयपुर
5. बजरंगलाल पुत्र, धारिया जाति ब्राहम्ण, नि. दुर्गापुरा जयपुर
6. गुलाब चन्द्र,
7. भोरीलाल,
8. रूपनारायण, पुत्रान कानाराम, जाति नाई, नि. दुर्गापुरा जयपुर
9. रामा
10. लाली,
11. श्यामा, पुत्रीया रामनारायण, जाति नाई, नि. दुर्गापुरा जयपुर
12. सत्यनारायण, पुत्र रामनारायण, जाति नाई, नि. दुर्गापुरा जयपुर
13. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव
14. जयपुर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन जि. जयपुर जिले सचिव 15. राजस्थान आवास मंडल राज. जयपुर जरिये सचिव
15. राजस्थान आवास मण्डल राज0 जयपुर जरिये सचिव
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जि. जयपुर

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:30:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झालाना चौड प.ह कल्याणपुरा भु.अनि. क्षेत्र सांगानेर जि. जयपुर स्थित ख.न. 245 रकबा 0.4500 है बारानी 2, ख.न. 248 रकबा 0.2300 है. बारानी 2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6800 है के खाता सं. 21 हाल जमाबन्दी सम्बत 2074 से 2077 के प्रार्थी 1/2 हिस्से के काबिज रेकोर्ड खातेदार कास्तकार दर्ज है तथा निरन्तर आज तक उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी की उक्त रेकोर्ड खातेदारी भूमि ख.न. 245 व 248 के उत्तर दिशा मे ख.न. 434/237, 431/236, 428/234, की भूमि अप्रार्थी सं. 14 जयपुर मेट्रो रेल की उत्तर–पूर्वी दिशा मे ख.न. 238, अप्रार्थी सं. 15 राजस्थान आवासन मण्डल की भूमि पूर्व दिशा मे ख.न. 246 व 249 अप्रार्थी सं. 13 जे.डी.ए. की भूमि, व ख.न. 247 अप्रार्थी सं. 6 से 12 तक गुलाब चन्द्र वगै की गैर खातेदारी की भूमि तथा पश्चिम दिशा मे ख.न. 437/240, 439/242, अप्रार्थी सं. 1 रविन्द्रपाल सिंह की भूमि, व ख.न. 440/242 अप्रार्थी सं. 2 मनप्रीत कौर की भूमि ख.न. 244 अप्रार्थी सं. 3,4,5 तीजादेवी, देवीलाल, बजरंगलाल की गेर खातेदारी की भूमि तथा दक्षिण–पश्चिमी दिशा मे ख.न. 255 अप्रार्थी सं. 13 जे. डी.ए की भूमि पे पडोसी खातेदार व गैर खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के उक्त ख.न. 245 व 248 के पूर्व दिशा के पडोसी खातेदार काश्तकार अप्रार्थी सं. 13 जे.डी.ए द्वारा उनकी भूमि ख.न. 246, 249, 251 व 252 का डी.जी.पी एस मशीन द्वारा दिनांक 08.12.2023 को सीमाज्ञान किया जाकर तहसील कर्मचारियो द्वारा सीमा चिन्ह अंकित कर दिये जो भविष्य मे चिन्ह समाप्त हो सकते है तथा प्रार्थी के अन्य पडोसी खातेदारो की सीमाओ का भी चारो तरफ से सीमाज्ञान किया जाकर सीमा चिन्ह अंकित किया जाकर पत्थर गढी की जाकर स्थायी सीमा अंकित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। इस प्रकार ख.न. 245 व 248 के अप्रार्थीगण 1 लगायत 14 पडोसी खातेदार होने से आपस मे सीमा चिन्हो को लेकर कोई विवाद नही हो बारी–बारी से भविष्य मे होने वाले विवाद से हमेशा छुटकारा पाने के लिए प्रार्थी शामिल पूर्वक सिमा चिन्ह कायम करवाकर पत्थर गडी करवाना चाहते है। एवं अपनी भूमि को सीमाओ का स्थायी रूप से निर्धारण करवाना चाहते है। जिससे की भविष्य मे कोई विवाद ना हो एवं मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से न्याय हित मे उक्त खातेदारी की भूमि की सीमा [illegible] कर पत्थर गढी करने के आदेश प्रदान करना कानूनन आवश्यक व प्रार्थनीय है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पडोसी खातेदार काश्तकार द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि में जबरन मजाहमत करने के कारण तथा प्रार्थी की सीमा को खुर्द बुर्द करते रहते है तथा प्रार्थी अपनी सीमाओं

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

को महदूद करने की गुरेज से पत्थरगढी करवाना अत्यन्त आवश्यक हो गया हैं। इसलिए प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि की नियमानुसार पत्थरगढी किया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अप्रार्थी उक्त भूमि के पडौसी खातेदार काश्तकार है जो प्रार्थी की भूमि के चारो दिशाओ के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की आवारा पुशओ व जानवरो से सुरक्षा वास्ते, एंव पडोसी खातेदारो से लडाई झगडो से निजात पाने के लिये उक्त भूमि की सीमा चिन्ह व पत्थरगढी करवाकर उक्त भूमि की सुरक्षा हेतू तारबंदी करना चाहता है। इसलिये प्रार्थी की उक्त भूमि की पत्थरगढी किया जाना आवश्कीय है। मौके पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की सीमा ज्ञान पत्थरगडी करवाना चाहते है जिसके बाबत आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 को राजस्व रेकोर्ड जमाबंदी एवं नक्शा के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की कृषि के पडोसी काश्तकार होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 16 तहसीलदार सांगानेर भूमि धारी होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम झालाना चौड प.ह कल्याणपुरा भु. अनि. क्षेत्र सांगानेर जि. जयपुर स्थित ख.न. 245 रकबा 0.4500 है बारानी 2, ख.न. 248 रकबा 0.2300 है. बारानी 2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6800 है की सीमा ज्ञान व स्थायी सीमा चिन्ह कायम की जाकर पत्थर गढी किये जोने बाबत अप्रार्थी सं. 16 को आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा मौके पर सीमा चिन्ह व पत्थरगढी के समय विवाद होने की सम्भावना को रोकने के लिये जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड ऐ0डी0 नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 13, 14, 15, 16 उपस्थित आये।

पत्रावली में बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि ग्राम झालाना चौड प.ह कल्याणपुरा भु.अनि. क्षेत्र सांगानेर जि. जयपुर स्थित ख.न. 245 रकबा 0.4500 है बारानी 2, ख.न. 248 रकबा 0.2300 है. बारानी 2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6800 है की सीमा ज्ञान व स्थायी सीमा चिन्ह कायम की जाकर पत्थर गढी किये जोने बाबत अप्रार्थी सं. 16 को आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हमने बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर, अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की वाके ग्राम झालाना चौड प.ह कल्याणपुरा भु.अनि. क्षेत्र सांगानेर जि. जयपुर स्थित ख.न. 245 रकबा 0.4500 है बारानी 2, ख.न. 248 रकबा 0.2300 है. बारानी 2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर की प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सूचित कर, सभी की उपस्थिति में नियमानुसार सीमाज्ञान कर, सीमाज्ञान–रिपोर्ट के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। आवश्यकता अनुसार पुलिस इमदाद लेवे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:20:51 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

सीताराम बनाम रविन्द्रपाल सिंह व अन्य

पत्र संख्याः 26/2024 2024/101

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.02.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्थान अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस एवं जवाब हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 01.03.2024 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	नोटिस जारी 858-877 23/2/24
1/3/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/3/24 को पेश हों।	Copy Not Recc Reg (15) RHB 01/3/24 (Rajesh K Vashishta)
15/3/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/3/24 को पेश हों।	नोटिस जारी 951-963 8/3/24
22/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप० अप्रार्थी सं० 1,2,13,14,15 उपस्थित [illegible]। अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं उपस्थित अधिवक्ता को बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 सुनी गई प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible] निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] नं० से नाम [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2024.05.21 15:20:51 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	Adv Advocate JMRC 22/3/24 (RHB) (Rajesh K Vashishta)

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना प्रत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–